राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

## राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

# कुलपति चयन समिति को राज्यपाल के निर्देश

जयपुर, 28 दिसम्बर। राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री कल्याण सिंह ने राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की कुलपति चयन समिति को निर्देश दिये है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 (संशोधन 2013) के प्रावाधानों के तहत ही कुलपति चयन की कार्यवाही को सुनिश्चित करें।

राजभवन से जारी निर्देशों के अनुसार कुलपति चयन समिति, कुलपति चयन के लिए जारी किए गए विज्ञापन की समीक्षा करे और नियमानुसार योग्यताओं के अनुरूप कुलपति चयन की कार्यवाही करें।

— — —